रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

393] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2001/श्रावण 10, 1923

393] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2001/SRAVANA 10, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2001

सा.का. नि. 569(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों में उपयोग का विनियमन), आदेश, 2001 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य विस्फोटक नियंत्रक" का वही अर्थ होगा जो इसका विस्फोटक अधिनियम, 1984 (1984 का 4) में है,

(ख) "उपभोक्ता" से किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके कब्जे में ऐसा मोटरयान या यान है जिसमें भारत सरकार के जल भूतल, परिवहन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित ऑटो एल पी जी टंकी और संपरिवर्तन किट लगी हो और जो ऐसे मोटरयान या यान को यांत्रिक ईंधन के रूप में मात्र द्रवित पेट्रोलियम गैस का या किसी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग करके चलाता है,

(ग) "आटो एल पी जी टंकी" से यांत्रिक द्रवित पेट्रोलियम गैस (आटो एल पी जी) के भंडारण और परिवहन के लिए इस्पात का ऐसा आधान अभिप्रेत है, जो किसी मोटर यान अथवा यान में यांत्रिक ईंधन के लिए उसकी ईंधन टंकी के रूप में स्थायी रूप से लगा है और जिसे उसी अवस्था में भरा जाता है और जिसका आयतन 500 मिलीलीटर से अधिक है किन्तु 1000 लीटर से अनधिक है तथा जो समय-समय पर यथा संशोधित गैस सिलिंडर नियम, 1981 के अधीन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित है और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा. मा. 14899 के अनुरूप है,

(घ) "सरकारी तेल कंपनी" से ऐसी कोई तेल परिष्करणी कंपनी या तेल विपणन कंपनी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 मे यथा परिभाषित के अनुसार सरकारी तेल कंपनी है जैसे कि—

(1) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(2) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(3) चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(4) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(5) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(6) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड

(7) आई बी पी कंपनी लिमिटेड

(8) कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड

(9) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

(10) आयल इंडिया लिमिटेड

(11) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

(12) कोई अन्य सरकारी कंपनी या कानूनी निकाय या ऐसी कंपनी या फर्म जिसे केन्द्रीय सरकार की राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के प्रयोजनार्थ इस रूप में घोषित किया गया हो।

(ङ) ''भारतीय मानक'' के वही अर्थ होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 के खंड (छ) में उसके हैं,

(च) ''आटो द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी)'' से पेट्रोलियम से व्युत्पन्न हल्के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण अभिप्रेत है जो सामान्य परिवेशी ताप और वायुमंडलीय दाब पर गैसीय है, किन्तु जिसे दाब के अनुप्रयोग द्वारा सामान्य परिवेशी ताप पर द्रव अवस्था में संघनित किया जा सकता है और जो समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा.मा. 14861 के अनुरूप है,

(छ) ''आटो एल पी जी के लिए समानांतर विपणनकर्ता'' से कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है जो समानांतर विपणन पद्धति के अधीन यांत्रिक प्रयोजन के लिए आटो एल पी जी के आयात, (आटो एल. पी. जी. आयात प्रतिस्थापन सहित) भंडारण, विपणन, वितरण और विक्रय के किसी या सभी कारबारों में लगा हुआ है और जिसके पास अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट रेटिंग प्रमाण पत्र है,

(ज) ''सरकारी तेल कंपनी पद्धति'' से किसी सरकारी तेल कंपनी द्वार आटो एल पी जी के विपणन में अपनाई जा रही ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके अधीन कोई सरकारी तेल कंपनी, वितरण स्टेशनों के माध्यम से यांत्रिक प्रयोजन के लिए आयात (आटो एल पी जी आयात प्रतिस्थापन सहित) भंडारण, वितरण अथवा विक्रय का कोई या सभी कारबार करती है।

(झ) ''आटो एल पी जी के लिए समानांतर विपणन पद्धति'' से सरकारी तेल कंपनी द्वारा आटो एल पी जी के विपणन में अपनाई जा रही पद्धति को छोड़कर ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके अधीन कोई समानांतर विपणनकर्ता अपने स्वयं के इंतजामों के अधीन आटो एल पी जी के आयात, (आटो एल पी जी आयात प्रतिस्थापन सहित) भंडारण, वितरण या वितरण स्टेशनों के माध्यम से विक्रय का कोई या सभी कारबार करता है।

(ञ) ''आटो एल पी जी आयात प्रतिस्थापन'' से सरकारी तेल कंपनी/समानांतर विपणनकर्ता द्वारा आटो एल पी जी का आयात अभिप्रेत है जो निम्न द्वारा प्रतिस्थापित है :—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा प्राधिकृत विशिष्ट रिफाइनरी/फ्रेकामेटरों से स्वदेशी एल पी जी उत्पादन,

(2) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा प्राधिकृत पेट्रो रसायन इकाइयों के माध्यम से एल पी जी जो समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा.मा. 14861 के अनुरूप है।

(ट) ''आटो एल पी जी वितरण स्टेशन'' से यांत्रिक प्रयोजन के लिए आटो एल पी जी के भंडारण और मोटर यानों को इसके वितरण के लिए उपयोग किया गया परिसर अभिप्रेत है,

(ठ) ''आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी'' से किसी सरकारी तेल कंपनी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का संगम, कंपनी, संस्था, संगठन या कोई सहकारी सोसाइटी अथवा आटो एल पी के क्रय, भंडारण और विक्रय के कारबार में लगा हुआ कोई समानांतर विपणनकर्ता अभिप्रेत है और जिसे समय-समय पर यथा संशोधित स्थैतिक और चल दाब यान (अनफर्ल्ड) नियम, 1981 के अधीन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से अनुज्ञप्ति प्राप्त हो,

(ड) ''संपरिवर्तन किट/मूल उपस्कर विनिर्माण (ओ ई एम) फिटिंग्स'' से ऐसा संपूर्ण पद्धति संयोजन अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय मोटर यान नियम, 2001 में वर्णित किसी भी परीक्षण अभिकरण ने सम्यक् रूप से परीक्षित किया है और जो द्वि-ईंधन मॉड में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है,

(ढ) ''मोटर यान'' या ''यान'' का वही अर्थ होगा जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 की उपधारा (28) में उसका है,

(ण) ''अनुसूची'' से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3. आटो एल पी जी के अप्राधिकृत अर्जन या विक्रय पर निर्बन्धन—

(1) कोई भी व्यक्ति, आटो एल पी जी का अर्जन, विक्रय या विक्रय के लिए भंडारण या किसी उपभोक्ता को वितरण इस आदेश में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं।

(2) कोई भी व्यक्ति आटो एल पी जी का भंडारण, प्रदाय अथवा वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी न हो।

(3) कोई भी व्यक्ति आटो एल पी जी का क्रय अथवा मोटर यान या यान में उसका उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 2001 के अधीन यथाअधिसूचित प्राधिकरणों/परीक्षण अभिकरणों द्वारा यथा अनुमोदित आटो एल पी जी टंकी और संपरिवर्तन किट उस यान में न लगी हो।

(4) कोई भी आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, किसी मोटर यान में स्थायी रूप से लगी आटो एल पी जी टंकी में उसकी कुल आयतनात्मक क्षमता के अस्सी प्रतिशत से अधिक गैस नहीं भरेगा।

(5) कोई भी आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी, किसी ऐसे उपभोक्ता को आटो एल पी जी का वितरण नहीं करेगा, जो ऐसे मोटर यान का उपयोग कर रहा है, जिसमें ऐसी आटो एल पी जी टंकी और संपरिवर्तन/ओ ई एम दि-ईंधन किट लगी है जो उप पैरा (3) के अनुसार अनुमोदित नहीं है।

(6) कोई भी आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी तब तक आटो एल पी जी का वितरण नहीं करेगा, जब तक कि उसे आटो एल पी जी विनिर्देश अर्थात् समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक विनिर्देश संस्था भा.मा. 14861 के अनुरूप आटो एल पी जी सरकारी तेल कंपनी/समानांतर विपणनकर्ता से प्राप्त नहीं हो जाती है।

4. आटो एल पी जी के स्टॉक और मूल्य का संप्रदर्शन-प्रत्येक आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी, आटो एल पी जी का स्टाक तथा उसकी विक्रय कीमत को आटो एल पी जी वितरण स्टेशन में सहज दृश्य स्थल पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगा।

5. आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी द्वारा आटो एल पी जी का उपापन, भंडारण और विक्रय :

(1) प्रत्येक आटो एल पी जी स्टेशन व्यवहारी या तो किसी सरकारी तेल कंपनी या फिर समानांतर विपणनकर्ता से ही आटो एल पी जी का उपापन या क्रय करेगा।

(2) प्रत्येक आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी कार्यकरण के घंटों को आटो एल पी जी वितरण स्टेशन पर किसी सहज दृश्य स्थान पर मुख्य रूप से संप्रदर्शित करेगा।

(3) कोई भी आटो एल पी जी स्टेशन व्यवहारी, जिसके पास भंडारण स्थल सहित आटो एल पी जी वितरण स्टेशन पर आटो एल पी जी का स्टाक हो, जब तक कि किसी सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणनकर्ता द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, किसी उपभोक्ता को किसी कार्य दिवस पर कार्यकरण के घंटों के दौरान आटो एल पी जी के विक्रय के लिए इंकार नहीं करेगा।

(4) कोई भी आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी, सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणनकर्ता की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना किसी कार्य दिवस को कार्यकरण के घंटों के दौरान भंडारण स्थल सहित आटो एल पी जी वितरण स्टेशन परिसरों को बंद नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण—उप-पैरा (2), (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए पद "कार्यकरण घंटों" से यथास्थिति संबंधित राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों में प्रवृत्त दुकान और स्थापन अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संबद्ध सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणनकर्ता द्वारा नियत कार्यकरण के घंटे अभिप्रेत हैं।

(5) प्रत्येक आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि आटो एल पी जी वितरण स्टेशन पर हर समय आटो एल पी जी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हो।

(6) कोई भी आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी, आटो एल पी जी का ऐसे मूल्य से उच्चतर मूल्य पर विक्रय नहीं करेगा जो, यथास्थिति, सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणनकर्ता द्वारा नियत किया गया हो।

6. समानांतर विपणनकर्ता का निर्धारण और प्रमाणन रेटिंग—

(1) (क) कोई भी समानांतर विपणनकर्ता, यांत्रिक ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली आटो एल पी जी के कारबार के संबंध में आयात, परिवहन, वितरण, विपणन, विक्रय जैसे कोई क्रियाकलाप या उसके समनुषंगी कोई अन्य क्रियाकलाप वृत्तिक कारबार करने और अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी अभिकरण द्वारा वादा किए गए माल या सेवाओं का प्रदाय करने के उसके सामर्थ्य, अवसंरचनात्मक तंत्र और उसकी तत्परता के लिए मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर "कम जोखिम" न्यूनतम रेटिंग प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना प्रारंभ नहीं करेगा :

परन्तु यांत्रिक ईंधन के लिए आटो एल पी जी के परिवहन, विपणन, वितरण या विक्रय का कारबार करने वाले किसी ऐसे समानांतर विपणनकर्ता से, जो किसी अन्य समानांतर विपणनकर्ता का अभिकर्ता हो जिसने न्यूनतम "कम जोखिम" का रेटिंग प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया हो, रेटिंग प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए किसी समानांतर विपणक को अन्य समानांतर विपणनकर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा यदि पूर्व कथित को किसी विधिक लिखित के माध्यम से पश्चात् कथित द्वारा उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए इस प्रकार नियुक्त किया जाता है।

(ख) रेटिंग प्रमाणपत्र, अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और अनुसूची 4 में दिए गए अग्रेषण पत्र के अनुसार जारी किया जाएगा।

(2) रेटिंग प्रमाणपत्र—

(i) इसके जारी किए जाने की तारीख से "अच्छी" और "संतोषजनक" रेटिंग की दशा में दो वर्ष और अन्य रेटिंग की दशा में एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और

(ii) रेटिंग अभिकरण द्वारा नवीकरण अपेक्षित होगा।

(3) प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता, यांत्रिक ईंधन के लिए आटो एल पी जी के आयात, आटो एल पी जी आयात प्रतिस्थापन सहित परिवहन, विपणन, वितरण या विक्रय के क्षेत्र में, समाचार पत्र, पर्चे, पम्फ्लेट, पर्चियां या संसूचना या विज्ञापन के किसी अन्य माध्यम से अपने कार्यकलाप का ब्यौरा घोषित करते हुए या किसी प्रकार की प्रस्थापनाएं आमंत्रित करते हुए उसे प्रदान की गई रेटिंग को शब्दों अर्थात् "अच्छी", "संतोषजनक", "कम जोखिम", "अधिक जोखिम", इनमें जो भी लागू हो, में उपदर्शित करेगा और रेटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र को प्रमुख रूप से प्रकाशित करेगा।

(4) रेटिंग अभिकरण को किए गए प्रत्येक आवेदन की बाबत रेटिंग अभिकरण को—

(i) समानांतर विपणनकर्ता को प्रदान किए गए रेटिंग प्रमाणपत्र के लिए पचास हजार रुपए की न्यूनतम और दस लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, परियोजना लागत के 0.05 प्रतिशत की दर से फीस का संदाय किया जाएगा, और

(ii) रेटिंग प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए समानांतर विपणनकर्ता द्वारा।

ऐसे प्रमाणपत्र के लिए संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम के 1/10 के समतुल्य फीस का संदाय किया जाएगा।

(iii) समानांतर विपणनकर्ता द्वारा रेटिंग प्रमाणपत्र का नवीकरण निम्नलिखित कालिक रूप से किया जाएगा, अर्थात :—

(क) पूर्व वर्ष के रेटिंग प्रमाणपत्र में "अच्छा" और "संतोषजनक" होने पर दो वर्ष में एक बार।

(ख) पूर्व वर्ष में "अच्छा" और "संतोषजनक" से भिन्न रेटिंग प्रमाणपत्र होने पर, वर्ष में एक बार।

(5) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए अनुसूची 1 में दिए गए अभिकरण, समानांतर विपणनकर्ता द्वारा फीस के संदाय पर उस समानांतर विपणनकर्ता का मूल्यांकन करेंगे, जिसका मामला उसे निर्दिष्ट किया जाता है या जो उससे संपर्क करता है जो अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में उपदर्शित पैरामीटरों और ऐसे समानांतर विपणनकर्ता द्वारा दी जाने वाली जानकारी या ऐसी अन्य जानकारी जो रेटिंग अभिकरण द्वारा अपेक्षित हो, पर आधारित होगा।

(6) प्रत्येक समानांतर विपणक, रेटिंग प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल समन्वय समिति, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय तथा उस जिले के कलैक्टर के पास फाइल करेगा, जिसमें वह यांत्रिक ईंधन के लिए आटो एल पी जी का आयात (आटो एल. पी. जी. आयात प्रतिस्थान सहित) परिवहन, विपणन, वितरण या विक्रय करता है।

(क) समानांतर विपणनकर्ता के सभी पत्रशीर्षों या संसूचनाओं पर निम्नलिखित रेटिंग विवरण होगा अर्थात् :—

(i) रेटिंग अभिकरण का नाम,

(ii) उसको दी गई रेटिंग, और

(iii) जारी करने की तारीख।

(ख) कोई भी समानांतर विपणनकर्ता समाचारपत्र, पर्चे, पम्फ्लेट, पर्चियां या विज्ञापन में कोई भी अपूर्ण, गलत, भ्रामक या अस्पष्ट जानकारी नहीं देगा या रेटिंग अभिकरण को ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं करेगा।

7. व्यवहारी द्वारा रजिस्टरों, लेखाबहियों का रखा जाना और विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—प्रत्येक आटो एल पी जी वितरण स्टेशन व्यवहारी, आटो एल पी जी वितरण स्टेशन और/या भंडारण स्थल पर यांत्रिक ईंधन के लिए आटो एल पी जी के आरंभिक और अंतिम स्टॉक और ऐसी अन्य सुसंगत विशिष्टियां, जो सरकारी तेल कंपनी या समानांतर विपणक लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उपदर्शित करेगा।

8. समानांतर विपणनकर्ताओं द्वारा अभिलेखों का रखा जाना और सूचना का प्रस्तुत किया जाना—

(1) यांत्रिक ईंधन के लिए आटो एल पी जी का आयात, परिवहन, विपणन, वितरण या विक्रय प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता ऊपर वर्णित सभी क्रियाकलापों या किसी एक को करने के अपने आशय की सूचना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देगा जिसमें ऐसा करने की उसकी सामर्थ्य और अन्य सुसंगत विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता, पत्तनवार आयात की गई आटो एल पी जी के ब्यौरे देते हुए आगामी मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं तेल समन्वय समिति को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता पेट्रोलियम गैस मंत्रालय या ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी अन्य सूचना देगा जो अपेक्षित हो।

9. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून का हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी सरकारी तेल कंपनी का कोई अधिकारी जो विक्रय अधिकारी की पंक्ति से अन्यून का हो, इस आदेश के उपबंधों के या अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के सम्यक् अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पालन किया गया है,

(क) व्यवहारी, समानांतर विपणनकर्ता, परिवाहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यवहारी या परिवाहक या उपभोक्ता या समानांतर विपणनकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी या अभिकर्ता है जिसकी बाबत यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या उल्लंघन किया जाने वाला है, उक्त कारबार में उपयोग किए जाने या उपयोग किए जाने के लिए संदिग्ध किसी स्थान या परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा,

(ख) आटो एल पी जी के परिवहन या भंडारण के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के सक्षम किसी जलयान या यान या पात्र को रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा,

(ग) व्यवहारी, समानांतर विपणनकर्ता, परिवाहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति के, जिसके बारे में आशंका है कि वह व्यवहारी, परिवाहक समानांतर विपणनकर्ता, या उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता है, कारबार में प्रयुक्त उत्पाद या ऐसे उत्पाद की, जिसके बारे में उसके उक्त कारबार में उपयोग किए जाने का संदेह है, किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों या किसी स्टाक का निरीक्षण कर सकेगा,

(घ) ऐसे किसी उत्पाद के किसी स्टाक को अभिगृहीत कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या इसका उल्लंघन किया जाने वाला है और वह इस प्रकार अभिगृहीत स्टाक या मदों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबंधों के अधीन अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और ऐसे प्रस्तुतिकरण तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा या किए जाने के लिए प्राधिकृत करेगा,

(ङ) उप पैरा (1) की मद (घ) के अधीन अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करने के लिए कारणों को लेखबद्ध करेगा और उसकी एक प्रति व्यवहारी, समानांतर विपणनकर्ता, परिवाहक, उपभोक्ता या किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) सरकारी तेल कंपनियों द्वारा नियुक्त आटो एल पी जी वितरण व्यवहारियों द्वारा किसी सरकारी तेल कंपनी के विक्रय अधिकारी को, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकृत किया जाएगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित है, जहां तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

10. इस आदेश का अध्यारोही प्रभाव—इस आदेश के उपबंधों का, किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा।

11. छूट देने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, किसी कठिनाई से बचने के लिए या लोकहित में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग को इस आदेश के उपबंधों में से सभी या किसी एक का पालन करने से साधारतया या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।

12. निरसन और व्यावृत्ति—

द्रवित पेट्रोलियम गैस (उपयोग पर निर्बन्धन) आदेश, 1974 का निरसन किया जाता है :

परन्तु ऐसे निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :

(क) उक्त आदेश का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यकत: की गई या किए जाने दी गई कोई बात, या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, उदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व, या

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड, या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकता है या जारी रखा जा सकता है या प्रवर्तित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकता है मानों उक्त आदेश निरसित न हुआ हो।

अनुसूची 1

[पैरा 6 (1) (क) और 6 (5) देखें]

समानांतर विपणनकर्ता के मूल्यांकन/रेटिंग के लिए अभिकरणों के नाम और पते

क्र.सं.	नाम	पता
1.	क्राइसिल (दि क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसिज आफ इंडिया लिमिटेड)	निरलान हाउस, द्वितीय तल 254 बी, एनी बेसेंट मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025
2.	केयर (क्रेडिट एनालेसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड)	आरबी सी महेन्द्रा टावर्स, 5वां तल, रोड संख्या 13, वर्ली, मुम्बई-400018
3.	मदरा (मार्केटिंग एण्ड डिवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स)	सेक्युलर हाउस, 9/1, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, जे एन यू के सामने नई दिल्ली-67
4.	इकरा (इन्वेस्टमेंट इन्फार्मेशान एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड)	कैलाश बिल्डिंग, चौथा तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1

अनुसूची 2

[पैरा 6 (1) (ख) देखें]

समानांतर विपणनकर्ता के लिए रेटिंग प्रमाणपत्र

जारी करने की तारीख————————

फर्म/कंपनी का नाम

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

संप्रवर्तक/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का नाम

क्रियाकलाप

बैंककारों की विशिष्टियां

समग्र रेटिंग ————————

रेटिंग मापमान

अच्छा

समाधानप्रद

कम जोखिम

अधिक जोखिम

रेटिंग अभिकरण के हस्ताक्षर और मुद्रा

अनुसूची—3

[पैरा 6(5) देखें]

रेटिंग अभिकरण द्वारा मूल्यांकन/रेटिंग के लिए समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जानो वाली सूचना का प्रोफार्मा

पैरामीटर — ब्यौरे

1. कंपनी की बाजार की प्रतिष्ठा :

क. फर्म का गठन

ख. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

ग. विद्यमान कारबार की अवस्थिति और पता

घ. संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों के नाम

ङ. संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की पृष्ठभूमि और संपूर्ण पूर्ववृत्त

च. संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की शुद्ध (धनीय) हैसियत

छ. वर्तमान क्रियाकलाप

ज. समानांतर विपणनकर्त्ता और/या उसके कंपनी समूह की विद्यमान संक्रियाओं के ब्यौरे

झ. संप्रवर्तकों के गठन के ब्यौरों सहित संप्रवर्तक फर्म और समूह समुत्थानों के तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखे

ञ. प्रस्तावित स्कीम के सार सहित समानांतर विपणन से संबंधित नए कारबार के लिए कामकाज पूंजी की अपेक्षाएं

ट. उन विशिष्ट परियोजनाओं के जो पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी हैं, लागत, समय, परियोजनाओं की प्रकृति और अन्तर्वलित प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्यान्वयन अभिलेख

ठ. कारबार योजना और प्रक्षेपित नकद प्रवाह

ड. विद्यमान और प्रस्तावित कारबार के लिए निधि के स्रोत

ढ. आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र सहित गत तीन वर्षों के लिए उसकी अन्य समूह कंपनियों में समानांतर विपणनकर्त्ता का कार्य-संपादन

2 आटो एल पी जी के लिए विपणन योजनाएं :

2.1 आटो एल पी जी के स्रोत/हस्तलन के लिए अवसंरचना

क. परिलक्षित आयात स्थान

ख. आयात पार्सलों के प्रस्तावित आकार

ग. अनुमोदन की प्रास्थिति (पत्तन/कानूनी/राज्य सरकार/मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पर्यावरण/सामंजस्य बैठाए गए तंत्र स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पूरे किए गए लक्ष्य)

घ. प्रगति की प्रास्थिति

ङ. प्रौद्योगिकी बंधनों, यदि कोई हो, के ब्यौरे

च. कारोबार संबंधी प्रस्ताव/परियोजना साध्यता रिपोर्ट वित्तीय ब्यौरे और वित्तीय जोखिम विश्लेषण

2.2 वाणिज्यिक ठहराव और/या आटो एल पी जी/आटो एल पी जी के लिए हितसाधन (यदि स्वयं की सुविधाओं की योजना न हो)

क. आयातकर्त्ता के साथ अंतिम रूप दिए गए कोई बंधन ठहराव

ख. ऐसे बंधन के समर्थन में करार/दस्तावेज

ग. न्यूनतम प्रत्याभूति सहित आयात किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा

घ. आयात अवस्थान पर उत्पाद के भंडारण और हस्तलन/बंधन करार के ब्यौरे

ङ. बंधनव्यवस्था के क्रियान्वित न होने की दशा में कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था

3. आटो एल पी जी के आयोजित भण्डारण और वितरण व्यवस्था

क. आटो एल पीजी के लिए, उनकी क्षमता सहित भंडारण सुविधाओं के ब्यौरे

ख. ऊपर वर्णित मदों पर प्रगति की प्रास्थिति

ग. संयंत्र और उपस्कर/प्रौद्योगिक ब्यौरे

घ. जनशक्ति के ब्यौरे और उत्पाद के हस्तलन की व्यवस्था

ङ. इन सुविधाओं के सन्निर्माण और प्रचालन के लिए अपनाए जाने वाले डिजाइनों और मानकों के ब्यौरे

च. सुविधाओं के अनुमोदनों की प्रास्थिति

4. उपभोग केन्द्रों/बाजारों में उत्पाद को पहुंचाने के लिए आयोजित व्यवस्थाएं :

क. आयोजित/पहले से नियुक्त वितरक तंत्र के ब्यौरे

ख. वितरकों की नियुक्ति के लिए आधार के ब्यौरे

ग. भंडारण और वितरण प्रदर्शन गृह/विक्रय गृह/कार्यालय के लिए परिकल्पित और/या विद्यमान सुविधाओं के अनुमोदनों की प्रास्थिति के साथ, ब्यौरे

5. उत्पाद से सुपरिचय, प्रशिक्षण और सुरक्षा के उपबंध

क. उत्पाद (आटो एल पी जी) की संक्रियात्मक जानकारी और उसका हस्तलन

ख. आटो एल पी जी के सुरक्षात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षमता और तैयारी, उसका परिवहन और परिवहन के दौरान आकस्मिक राहत

ग. उपस्करों/उत्पाद के सुरक्षित हस्तलन के बारे में कर्मचारीवृन्द और उपभोक्ताओं के प्रशिक्षण की योजनाएं

घ. कर्मचारीवृन्द की भर्ती के लिए नीति और मानक

ङ. गैस नियंत्रक आदेशों, विस्फोटक नियमों और लागू स्थानीय अधिनियमों से सुपरिचय

च. आपातकाल में देखभाल के प्रबंध के ब्यौरे

छ. उपभोक्ता की शिकायत पर विचार करने/निवारण की प्रणाली

6. विपणन अनुशासन और मार्गदर्शक सिद्धांत जिनको अंगीकार किए जाने का प्रस्ताव है

क. आटो एल पी जी के अपवर्तन को मानीटर और नियंत्रण करने की प्रणाली

7. आटो एल पी जी के समानांतर विपणन के स्थान पर/के लिए प्रस्तावित संगठन

क. संगठनात्मक संरचना का ब्यौरा

ख. संप्रवर्तक के प्रबंधकीय अन्तर्वलन का स्तर

ग. आटो एल पी जी के समानांतर विपणन, जिसके अंतर्गत अवसंरचना भी है, के वित्तपोषण का स्रोत

8. वित्तीय प्रतिबद्धता

तारीख ————————

हस्ताक्षर ————————

मैसर्स ————————

(समानांतर विपणक)

पता ————————

अनुसूची—4

[खण्ड 6 (1) ख देखें]

रेटिंग प्रमाणपत्र के लिए अग्रेषण पत्र

जिससे भी इसका संबंध है

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों में उपयोग का विनियमन) आदेश, 2001 के उपबंधों के अनुसार मैसर्स ———————— को प्रमाणपत्र और रेटिंग जारी करने के प्रयोजन के लिए उनका मूल्यांकन कर लिया है।

हमने ऐसी ऐसी सूचनाएं और स्पष्टीकरण, जो प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे, अभिप्राप्त कर लिए हैं। हमारे द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, हमारे द्वारा दस्तावेजों अभिलेखों के किए गए परीक्षण और अभिप्राप्त जानकारी के निर्धारण तथा समानांतर विपणक द्वारा वृतिक कारबार चलाने तथा माल और सेवाएं प्रदान करने की, जिसके लिए वचन दिया गया है, क्षमता, अवसंरचनात्मक नेटवर्क और तत्परता के मूल्यांकन का परिणाम है। हमारा यह समाधान हो गया है कि हमारे द्वारा प्राप्त और संगृहीत की गई सूचनाएं और विशिष्टियां, हमें मैसर्स ———————— को यथा विनिर्दिष्ट रेटिंग उपलब्ध करने के लिए मूल्यांकित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है

मैसर्स ———————— xx ————————

को ———————— रेटिंग प्रदान की जाती है।

मैसर्स ———————— xx ————————

की बाबत मुख्य तथ्य निम्नानुसार है :—

1. परिकल्पित कुल निवेश

2. अद्यतन किया गया कुल निवेश

3. संप्रवर्तक की साम्या

4. चालू करने की प्रस्तावित/संभावित तारीख।

x समानांतर विपणक का नाम उपदर्शित करें।

(रेटिंग अभिकरण के हस्ताक्षर और मुद्रा)

[फा. सं. पी-17011/69/93-वि.]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 1st August, 2001

G.S.R. 569(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Use in Motor Vehicles) Order, 2001.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) **'Chief Controller of Explosives'** shall have the same meaning assigned to it as in the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);

(b) **"consumer"** means a registered owner of a motor vehicle or a person having in his possession a motor vehicle or vehicle fitted with an auto LPG tank, and a conversion kit as notified by the Government of India in the Ministry of Surface Transport, and runs such motor vehicle or vehicle by using auto LPG as automotive fuel alone or with some other petroleum fuel;

(c) **"auto LPG tank"** means a steel container for storage and transport of automotive liquefied petroleum gas (auto LPG) fitted permanently in a motor vehicle or vehicle as its fuel tank, for automotive fuel and filled in that position, having a volume exceeding 500 milliliters but less than 1000 liters, as approved by the Chief Controller of Explosives under Gas Cylinder Rules 1981 as amended from time to time conforming to Indian Standard specification No. IS:14899, as amended from time to time;

(d) "**Government Oil Company**" means an oil refining company or oil marketing company which is a government oil company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), such as -

(i) Bharat Petroleum Corporation Limited;
(ii) Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited;
(iii) Chennai Petroleum Corporation Limited;
(iv) Gas Authority of India Limited;
(v) Hindustan Petroleum Corporation Limited;
(vi) Indian Oil Corporation Limited;
(vii) IBP Co. Limited;
(viii) Kochi Refineries Limited;
(ix) Numaligarh Refinery Limited;
(x) Oil India Limited;
(xi) Oil and Natural Gas Corporation Limited; or
(xii) any other Government Company or a statutory body or a company or a firm, declared as such by a notification in the Official Gazette, to be a 'Government Oil Company' by the Central Government, for the purposes of this Order;

(e) **"Indian Standard"** shall have the same meaning assigned to it in clause (g) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(f) **"auto liquefied petroleum gas (auto LPG)"** means a mixture of certain light hydrocarbons derived from petroleum, which are gaseous at normal ambient temperature and atmospheric pressure but may be condensed to the liquid state at normal ambient temperature by the application of moderate pressure, and which conforms to Indian Standard specification No. IS 14861, as amended from time to time;

(g) "**parallel marketeer for auto LPG**" means any person, firm, company, institution, association of persons, co-operative society or organization other than the Government Oil Companies carrying on any or all of the business of importing (including Auto LPG Import Substitution), storing, marketing, distributing and selling auto LPG for automotive purpose under the parallel marketing system and having a rating certificate as specified in Schedule II;

(h) **"Government Oil Company system"** means the system under which a Government Oil Company carries on any or all of the business of importing (including Auto LPG Import Substitution), storing, distribution or selling LPG for automotive purpose through dispensing stations;

(i) "**parallel marketing system for auto LPG"** means the system, other than the system being followed by the Government Oil Companies in marketing auto LPG, under which a parallel marketeer carries on any or all of the business of importing (including Auto LPG Import

Substitution), storing, distribution or selling auto LPG through dispensing stations under his own arrangement;

(j) **"auto LPG Import Substitution"** means Import of Auto LPG by Government oil company/parallel marketer substituted by –

i) indigenous LPG production from specific refineries/fractionators as authorised by Central Government from time to time,

ii) LPG through petrochemical units as authorised by Central Government from time to time,

conforming to Indian Standard Specification IS 14861 as amended from time to time.

(k) **"auto LPG dispensing station"** means the premises used for storing and dispensing auto LPG to the motor vehicles for automotive purpose;

(l) **"auto LPG dispensing station dealer"** means a person, firm, association of persons, company, institution, organization or a co-operative society appointed by a Government Oil Company or a parallel marketeer and engaged in the business of purchase, storage and sale of auto LPG and licensed by the Chief Controller of Explosives under the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981 as amended from time to time;

(m) **"conversion kit/original equipment manufacturer (OEM) fittings"** means a complete system assembly duly tested by one of the testing agencies mentioned in the Central Motor Vehicles Rules, 2001, and approved by the Ministry of Road Transport and Highways in a bi-fuel mode;

(n) "**motor vehicle**" or "**vehicle**" shall have the same meaning assigned to it in sub-section (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); as amended from time to time.

(o) "**Schedule**" means a Schedule appended to this Order.

3. Restriction on unauthorized acquisition or sale of auto LPG:

(1) No person shall acquire, sell, store for sale, supply fill or distribute auto LPG to a consumer except according to the provisions contained in this Order.

(2) No person shall store, supply, sell or dispense auto LPG unless he is a auto LPG dispensing station dealer.

(3) No person shall purchase or use auto LPG in a motor vehicle or vehicle unless it is fitted with the auto LPG tank permanently fitted in the motor vehicle and a conversion kit as approved by the authorities / testing agencies as notified in the Central Motor Vehicle Rules, 2001;

(4) No auto LPG dispensing station dealer or any other person acting on his behalf shall fill the auto LPG tank permanently fitted in the motor vehicle in excess of eighty per cent of its total volumetric capacity.

(5) No auto LPG dispensing station dealer shall dispense auto LPG to any consumer using motor vehicle fitted with auto LPG tank permanently fitted in the motor vehicle and conversion/OEM dual fuel kit, which is not approved as per sub-paragraph 3.

(6) No auto LPG dispensing station dealer shall dispense Auto LPG unless received from Government Oil Companies/parallel marketeers and conforming to auto LPG specification i.e. Indian Standard specification No. IS 14861 as amended from time to time.

4. Display of stock and price of auto LPG

Every auto LPG dispensing station dealer shall prominently display the stock and selling price of auto LPG at a conspicuous place of the auto LPG dispensing station.

5. Procurement, storage and sale of auto LPG by the auto LPG dispensing station dealer .-

(1) Every auto LPG dispensing station dealer shall procure or purchase auto LPG from either a Government Oil Company or a parallel marketeer.

(2) Every auto LPG dispensing station dealer shall display the working hours prominently at the place of auto LPG dispensing station at a conspicuous place.

(3) No auto LPG dispensing station dealer having stock of auto LPG at the auto LPG dispensing station including the storage point, shall, unless otherwise directed by a Government Oil Company or a parallel marketeer, refuse to sell auto LPG on any working day during working hours to a consumer.

(4) No auto LPG dispensing station dealer shall keep the auto LPG dispensing station premises including the storage point closed during working hours, on any day without the prior written permission of the Government Oil Company or a parallel marketeer.

Explanation - For the purpose of sub-paragraphs (2), (3) and (4), the expression 'working hours' means the working hours fixed by the concerned Government Oil Company or a parallel marketeer in accordance with the provisions of the Shops and Establishments Acts, and the rules made there under, as in force in the respective States or Union territories, as the case may be.

(5) Every auto LPG dispensing station dealer shall take steps to ensure adequate availability of stocks of auto LPG at the auto LPG dispensing station at all times.

(6) No auto LPG dispensing station dealer shall sell auto LPG at a price higher than that fixed by the Government Oil Company or a parallel marketeer, as the case may be.

6. Assessment and certification rating of parallel marketeers .-

(1) (a) No parallel marketeer shall commence any activity, such as, import (including Auto LPG Import Substitution), transport, marketing, distribution, sale or any activity incidental thereto, relating to the business of auto LPG to be used as automotive fuel without obtaining a minimum of low risk rating certificate, on the basis of evaluation and rating for his capability, infrastructure network and readiness to carry out professed business and delivery of goods and services promised by him by an agency specified in Schedule-I.

Provided that a parallel marketeer carrying on the business of transportation, marketing, distribution or selling of auto LPG for automotive fuel, as an agent of another parallel marketeer, who has obtained a minimum of low risk rating certificate, shall not be required to obtain a rating certificate.

Explanation: For the purpose of this sub-paragraph, a parallel marketeer shall be an agent of another parallel marketeer if the former is appointed as such, for the above purposes by the latter through a legal instrument.

(b) The rating certificate shall be issued in the format as specified in Schedule-II and as per the forwarding letter given in Schedule-IV.

(2) The rating certificate shall -

(i) be valid for a period of two years in case of 'Good' and 'Satisfactory' rating and one year in case of other ratings from the date of its issue, and

(ii) require renewal by the rating agency.

(3) Every parallel marketeer announcing details of his activity or inviting offers of any kind in the field of import (including Auto LPG Import Substitution), transport, marketing, distribution or sale of auto LPG for automotive fuel, either in a newspaper, handout, pamphlet, leaflet or by any other means of communication or advertising shall indicate the rating awarded to him in words i.e. Good, Satisfactory, Low-Risk, High Risk, whichever is applicable, and prominently publish the rating certificate, as given by the rating agency.

(4) There shall be paid in respect of every application to a rating agency -

(i) for the rating certificate awarded to the parallel marketeer, a fee at the rate of 0.05% of the project cost, subject to a minimum of rupees fifty thousand and maximum of rupees ten lakhs; and

(ii) for the renewal of the rating certificate by the parallel marketeer, a fee of one-tenth of that required to be paid for such a certificate;

(iii) The renewal of rating certificate by the parallel marketeer shall be as per the following periodicity, namely :-

(a) once in two years, for those having 'Good' and 'Satisfactory' rating certificate in the previous year;

(b) once in a year for those having rating certificate other than 'Good' and 'Satisfactory' in the previous year.

(5) The agencies given in Schedule-I for the purpose of evaluation shall, on payment of fee by the parallel marketeer, evaluate the parallel marketeer whose case is either referred to it or who approaches it, on the basis of the parameters indicated and the information provided by such parallel marketeer in the format as specified in Schedule-III or such other information as may be required by the rating agency.

(6) Every parallel marketeer shall file a certified true copy of the certificate of rating with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Oil Co-ordination Committee, Ministry of Food and Civil Supplies of the Central and the State Government and Collector of the District in which he imports (including Auto LPG Import Substitution), transports, markets, distributes or sells auto LPG for automotive fuel.

(a) All letter-heads or communications of a parallel marketeer shall have the following description of rating, namely : -

(i) Name of the rating agency,
(ii) Rating awarded to him, and
(iii) Date of Issue.

(b) No parallel marketeer shall either give incomplete, incorrect, misleading, vague information in the newspaper, handout, pamphlet, leaflet or advertisement or submit such information to the rating agency.

7. Maintenance of registers, account books and submission of return by the dealer .-

Every auto LPG dispensing station dealer shall maintain accounts of daily purchase, sale and storage of auto LPG as an automotive fuel at the auto LPG dispensing station and/or storage point, indicating therein the opening and closing stock of auto LPG and such other relevant particulars as the Government Oil Company or the parallel marketeer may, by order, in writing, specify.

8. Maintenance of records and furnishing of information by parallel marketeers .-

(1) Every parallel marketeer before commencing the import (including Auto LPG Import Substitution), transportation, marketing, distribution or sale of auto LPG as an automotive fuel shall intimate to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, all or any of the above activities which he intends to undertake, specifying therein capability to do so, and any other relevant particulars.

(2) Every parallel marketeer shall submit a monthly return before the 15^{th} day of the following month giving details of auto LPG imported port-wise (including Auto LPG Import Substitution, source-wise) to the Ministry of Petroleum and Natural Gas/Oil Coordination Committee.

(3) Every parallel marketeer shall furnish to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, or to such authority as may be specified by the Central Government, such information as may be required.

9. Power of entry, search and seizure.-

(1) Any Officer of the Central or the State Government, not below the rank of Inspector duly authorized, by general or special order, by the Central Government or State Government, as the case may be, or any Officer of a Government Oil Company not below the rank of Sales Officer, authorized by the Central Government, may, with a view to securing due compliance with the provisions of this Order, or for the purpose of satisfying himself that this order or any other order made thereunder has been complied with -

(a) enter and search any place or premises being made use of or suspected to be made use by a dealer, parallel marketeer, transporter, consumer or any other person who is an employee or agent of such dealer or transporter or consumer or parallel

marketeer or any other person, with respect to which there is reason to believe that the provisions of this order have been or are being or are about to be contravened;

(b) stop and search any vessel or vehicle or receptacle used or capable of being used for the transport or storage of auto LPG ;

(c) inspect any book of accounts or other documents or any stock of the product used or suspected to be used in the business of the dealer, parallel marketeer, transporter, consumer or any other person suspected to be an employee or agent of the dealer, transporter, parallel marketeer or consumer;

(d) seize stocks of the products which he has reason to believe has been or is being or is about to be used in contravention of this Order and take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks or items so seized before the Collector having jurisdiction under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and for their safe custody pending such production;

(e) while exercising the power of seizure under item (d) of sub-paragraph (1), the authorised officer shall record in writing the reasons for doing so, a copy of which shall be given to the dealer, parallel marketeer, transporter, consumer or any other concerned person.

(2) The sales officer of a Government Oil Company shall be authorized, to secure compliance of this Order, by the auto LPG dispensing dealers appointed by the Government Oil Companies.

(3) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

10. Overriding effect of the Order.-The provisions of this Order shall have overriding effect notwithstanding anything contained in any other Order made by a State Government or a Union territory Administration

11. Power to exempt.- The Central Government may, if it considers necessary, for avoiding any hardship or in consideration of public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any person or class of persons from all or any of the provisions of this Order, either generally or for any specific purpose, subject to such conditions as may be specified in the notification.

12. Repeal and savings, -

The Liquefied Petroleum Gas (Restriction on Use) Order, 1974 is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not effect:

(a) the previous operations of the said Order or anything duly done or suffered therein; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or

(d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been repealed.

Schedule –I
[see paragraph 6(1)(a) and 6(5)]

Name and address of agencies for evaluation/rating a Parallel Marketeer

	Name	Address
1.	CRISIL (The Credit Rating Information Services of India Ltd.)	Nirlon House, 2nd Floor, 254 B, Annie Besant Road, Worli, Bombay-400025
2.	CARE (Credit Analysis and Research Ltd.)	RBC, Mahindra Towers, 5th Floor, Road No. 13, Worli, Bombay-400018
3.	MDRA (Marketing and Development Research Associates)	Secular House, 9/1, Institutional Area, Opp. JNU, N. Delhi-67
4.	ICRA (Investment Information Credit Rating Agency of India Ltd.)	Kailash Building, 4th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 1

Schedule-II
(see paragraph 6(1)(b))

Rating Certificate for the Parallel Marketeer

Date of Issue:____________

Name of Firm/Company:

Registered Office Address:

Name of Promoter/Chairman/Managing Director:

Activities:

Particular of Bankers:

Overall Rating ____________

Rating Scale

Good
Satisfactory
Low Risk
High Risk

Signature and Seal of the Rating Agency

Schedule-III
[see paragraph 6(5)]

Proforma of information to be submitted by the Parallel Marketeer for Evaluation/ Rating by the Rating Agency.

PARAMETERS	DETAILS *

1. Market Standing of the Company:

A. Constitution of the firm
B. Registered Office
C. Location & Addresses of Existing Business.
D. Name of Promoters/Directors/Partners.
E. Background and full antecedents of promoters/directors/partners.
F. Networth of Promoters/Directors/Partners.
G. Current Activity.
H. Details of existing operations of the Parallel Marketeer and/or his group of companies.
I. Audited A/cs for three years of the promoter firm and group concerns with details of promoters constitution.
J. Working Capital requirement for new Business pertaining to Parallel Marketing with resume of proposed scheme.
K. Implementation record of typical projects already undertaken, in terms of cost, time, nature of projects and technology involved.
L. Business plans and projected cash flows.
M. Sourcing of funds for existing and proposed Business.
N. Performance of Parallel Marketeer in his other group companies for last three years with income tax clearance certificate.

2. Marketing Plans for auto LPG :

2.1 Infrastructure for auto LPG Sourcing / Handling:

A. Import Locations identified.
B. Proposed size of import parcels.
C. Status of approvals (ports/statutory/State Government/Chief Controller of Explosives/Environment/Milestone achieved with squared network-local authorities)
D. Status of Progress
E. Details of Technological tie ups, if any.
F. Business proposals/Project Feasibility report, Financial Details and Financial risk analysis.

2.2 Commercial arrangements and/or consortium for LPG / auto LPG (if own facilities are not planned):

A. Any tie up arrangement finalized with importer.
B. The supporting agreements/documents for such tie up.
C. The quantum of product to be imported with minimum guarantee.
D. Details of Storage & Handling of product at the import location/tie up agreement.
E. Fall back arrangement to meet the shortfall in case the tie up arrangement does not materialise.

3. Storage and Distribution arrangement for auto LPG planned:

A. Details of Storage facilities for auto LPG with their capacities.
B. Status of progress on items mentioned above.
C. Plant & Equipment/Technological details.
D. Details of manpower and the arrangement to handle the product.
E. Details of designs and standards to be followed for construction and operation of these facilities.
F. Status of approvals for the facilities.

4. Arrangements planned to reach the product to consumption Centres / Markets:

A. Details of distributor network planned / already appointed.
B. Details of the basis for dealers appointment.
C. Details of facilities planned and or existing for storage and distribution, showroom / sales room / office along with status of approvals.

5. Product Familiarity, Training and Provision for Safety:

A. Operational knowledge of product (Liquefied Petroleum Gas) and its handling.
B. The capability and preparedness to meet the safety requirement in Liquefied Petroleum Gas, its transportation and accident relief during transportation.
C. Plans for training the staff and the consumer on safe handling of equipment/product.
D. Recruitment policy and standards for the staff.
E. Familiarity with Gas Control Orders, Explosives Rules and applicable local acts.
F. Details of arrangement for handling the emergencies
G. System for handling / redressal of customer complaint(s)

6. Marketing Discipline and Guidelines proposed to be adopted:

A. System to monitor and control diversion of auto LPG

7. Organization in place/proposed for the parallel marketing of auto LPG:

A. Details of Organizational Structure.
B. Level of managerial involvement of the promoter.
C. Source of financing the parallel marketing of auto LPG including the infrastructure.

8. Financial commitment.

Date --------------------

Signature--------------------
M/s---------------------------
(Parallel Marketeer)
Address---------------------

Schedule-IV
[see clause 6(1)(b)]

Forwarding letter for the Certificate of rating

To whomsoever it may concern

This is to certify that we have made an evaluation of M/s ______________________ for the purpose of issuing certificate and a rating to them in accordance with the provisions of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Use in Motor Vehicles), Order, 2001.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of issuing this certificate. The certificate issued by us is as a result of our examination of the documents, records and assessment of the information obtained by us and the Evaluation of capability, infrastructure network and readiness to carry out professed business, deliver good and services promised by the parallel marketeer. We are satisfied that the information and particulars received and collected by us are sufficient enough to enable us to evaluate M/s __________ ____** ______________ providing the rating as specified.

M/s ____________________** ____________________ are awarded ________ rating.

Salient facts about M/s ____________________** ____________________ are as follows:-

1. Total investment planned.
2. Total investment made up to date.
3. Promoter's equity.
4. Proposed/likely date of commissioning.

** Name of the parallel marketeer to be indicated.

(Signature and seal of the Rating Agency)

[F. No. P-17011/69/93-Mkt.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054